75. चन्द्रावल या मैंग जीन रोड
76. संजय नगर
77. महेन्द्र नगर

(घ) उत्तम नगर समूह की कालोनियां (प० क्षेत्र)

78. एल जैड एम ब्लाक प्रेम नगर
79. दयाल सर
80. साउथ एक्सटै०
81. प्रेम नगर

(ङ) एन०डी०एस० क्षेत्र

82. जोगा बाई एक्सटै०
83. जाकिर नगर
84. गफूर मंजिल
85. गफूर नगर
86. जामिया नगर

Buffer stocks of wheat and rice

1103. PROF. C. LAKSHANNA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether there has been depletion in the buffer stocks of wheat and rice during the year 1987-88;

(b) what has been the procurement shortfall, if any, during the same period; and

(c) whether Government have decided to import rice in order to maintain the buffer stock?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BHITHA): (a) Yes, Sir; the stocks of wheat and rice with the public agencies were drawn down during 1987-88.

(b) Procurement during the year 1987-88 was lower than that in 1986-87 by 2.66 million tonnes in case of wheat and 2.53 million tonnes in case of rice.

(c) The Government keeps open the option to import rice and wheat from other countries in order to replenish the buffer stocks.

आलू का उत्पादन

1104. **श्री राम नरेश यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान देश में आलू का कितना उत्पादन हुआ,

(ख) उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में आलू का कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) विभिन्न शीत-गृहों की आलू भंडारण क्षमता कितनी है और राज्य में प्रति वर्ष कितने आलू की खपत होती है ; और

(घ) राज्य के किसानों की पर्याप्त शीत भंडारण सुविधा उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) 1987-88 के लिए आलू के उत्पादन के पक्के अनुमान राज्यों से प्राप्त होने का समय अभी नहीं हुआ है।

(ग) उत्तर प्रदेश में विभिन्न शीत भण्डारों की क्षमता करीब 2310000 मीटरी टन है। उत्तर प्रदेश में आलू की खपत के संबंध में कोई सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(घ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी क्षेत्र में शीत भण्डारों के सृजन के लिए राज्य सरकार को सहायता देती है, बशर्ते कि वह आर्थिक रूप से सक्षम हो।

आलू के लिये शीत भंडार-गृहों की सुविधा

1105. **श्री राम नरेश यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में आलू-उत्पादकों को

शीतभंडार-गृहों की अपर्याप्तता और उससे संबद्ध उद्योगों के अभाव के कारण प्रति वर्ष अत्यधिक हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस नुकसान से बचने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही की है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) शीत-गृहों के निर्माण और आलू के भंडारण के लिए यथेष्ट सुविधाएं सुलभ कराने के संबंध में सरकार की भावी योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) 31-12-1986 को देश में उपलब्ध सम्पूर्ण शीत भण्डागारों की क्षमता 54.02 लाख मीटरी टन थी, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश राज्य के 739 शीत भण्डागारों की क्षमता 23.10 लाख मीटरी टन आंकी गई । शीत भण्डागार निजी पार्टियों, सहकारी समितियों तथा अन्यों के द्वारा स्थापित किये जाते हैं ; सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम राज्य सरकार के लिए आर्थिक व्यवहायता के अनुसार जहां कहीं भी आवश्यक हो, उपयुक्त वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता से उत्तर प्रदेश के सहकारी क्षेत्र में 1.18 लाख मीटरी टन क्षमता वाले 31 नए शीत भण्डागार स्थापित किए गए। राज्य में अब 2.766 लाख मीटरी टन क्षमता वाले कुल 93 सहकारी शीत भण्डागार हैं। उत्पादकों द्वारा की जा रही कम बिक्री के समाधान के लिए राज्य में आलू से सम्बन्धित बाजार हस्तक्षेप संबंधी एक स्वीकृत योजना भी चल रही है ।

Promotion of assistant attendants of DMS

1106. SHRIMATI RATAN KUMARI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Sales Assistant/Attendants in Delhi Milk Scheme with service of 14 years or more are stagnating in the same cadre; and

(b) if so, what action is contemplated in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) and (b) Nine Sales Attendants/Assistants have completed 14 or more years of service. As the scheme of selection grade has been abolished, no selection grade appointment can be made in the cadre of Sales Assistants/Attendants.

दिल्ली प्रशासन के खाद्य और संभरण विभाग के निरीक्षकों की पदोन्नति

1107. **श्री सुनील कुमार पटनायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के खाद्य और संभरण विभाग के निरीक्षकों की पदोन्नति में पिछले 10-15 वर्षों से लगातार गतिरोध चलता आ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक का पद दिल्ली प्रशासन के डी० ए० एस० एस० संवर्ग का ग्रेड-II पद है, जिसमें 1400-2300 रुपये के वेतनमान में दिल्ली प्रशासन के निरीक्षक/हैड क्लर्क/सहायक भी शामिल हैं। 1986 तक, ग्रेड-II में पदोन्नति के लिए 14 से 17 वर्षों की सेवा तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी । तथापि, 1987 में ग्रेड-I के 108 नये पद सृजित करने के बाद स्थिति में कुछ सुधार हुआ है ।